**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1664

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**विकलांग बच्चों को दाखिला**

**1664. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र से ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि सभी शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम 5 प्रतिशत दाखिला विकलांग बच्चों को दिया जाएगा;

(ख) क्या यह विशेष रूप से निःशक्त लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वाधिक शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): जी, नहीं। समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना प्री-स्‍कूल से XII कक्षा तक एक निरंतर क्रम में विशेष आवश्‍यकता वाले बच्‍चों की शिक्षा की देखरेख करने की ओर लक्षित है। इस योजना में नि:शक्‍तजन अधिकार (आरपीडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 2016 में नि:शक्‍तता अनुसूची में यथा उल्‍लिखित एक या अधिक नि:शक्‍तताओं वाले सभी सीडब्‍ल्‍यूएसएन को कवर किया गया है।

 नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में अधिदेशित है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में आने वाले प्रत्‍येक नि:शक्‍त बच्‍चे को नि:शुल्‍क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

(ख) और (ग): समग्र शिक्षा योजना विशेष आवश्‍यकता वाले बच्‍चों (सीडब्‍ल्‍यूएसएन) को औपचारिक स्‍कूलिंग में शामिल करने अथवा मुख्‍यधारा में लाने को प्रोत्‍साहित करती है। योजना के तहत सीडब्‍ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा, समान और गुणवत्‍तापरक शिक्षा के जरिए प्रत्‍येक नि:शक्‍त बच्‍चे की पूर्ण क्षमता को विकसित करने पर बल देती है।

 समावेश के सिद्धांत के मद्देनजर, सीडब्‍लयूएसएन को विशिष्‍ट विद्यार्थी उन्‍मुखी पहलों उदाहरणार्थ: सहायक उपकरण और उपस्‍कर, शिक्षण के सहायक उपकरण, सहायक यंत्र, पहचान और मूल्‍यांकन कैंप, शिक्षण और अधिगम सामग्री, ब्रेल पाठ्यपुस्‍तकों/किट्स, यातायात भत्‍ता, एसकॉर्ट भत्‍ता, वर्दियां (आरटीई के अंतर्गत), बालिकाओं के लिए वजीफा, सामान्‍य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों के लिए वित्‍तीय सहायता आदि के जरिए सहायता प्रदान की जाती हैं। ये पहलें सामान्‍य स्‍कूलों में उनकी शैक्षणिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु की जाती हैं। समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 2100918 सीडब्‍लयूएसएन के लिए वित्‍तीय सहायता अनुमोदित की गई है जिसके लिए 102350.91 लाख रूपए का अनुमानित अनुमोदित परिव्‍यय है।

**\*\*\*\*\***